| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में हुए |
| --- | --- | --- |
| 31.03.23 | पत्रावली पेश हुई। कुलाप उप.।<br>प्रकरण में वकील प्रार्थी श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी जा रही है कि प्रार्थीगण द्वारा धारित की जा रही भूमि ग्राम बेडा- I के खसरा नं. 38/6 व खसरा नं. 38/4 रकबा क्रमशः 1.00 हैक्टर 1.00 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन मगरा, बरानी अव्वल में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 38 किस्म गैर मुमकिन मगरा एवं ग्राम कोठार स्थित भूमि खसरा नं. 673 किस्म बरानी सोयम में से नवीन रेकर्डेड रास्ता तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के अनुसार दिलाये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत तहसीलदार बाली द्वारा दलील दी गई कि आवेदक/प्रार्थीगण को राजकीय सिवायचक भूमि से रास्ता दिये जाने पर सिवायचक भूमि का अधिक रकबा प्रभावित होने तथा ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नं. 38 की किस्म गैर मुमकिन मगरा होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 तथा इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6 की अधिसूचना क्रमांक F.3(2) Rev.6/03/pt/7 Jaipur Dated: 02-03-2012 में वर्णित प्रावधानों पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि किसी खातेदार को अपनी धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये रास्ते की उपलब्धता नहीं है तो वर्णित खातेदार दूसरे निजी खातेदारों की भूमि में से वर्णित प्रावधानों के तहत वर्णित भूमि की DLC दर की दुगुनी राशि के बराबर प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुये न्यायालय प्रार्थीगण को आवेदित रास्ता उपलब्ध करवा सकता है। इस प्रकार संशोधित नियम 2012 एवं इस संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 02-03-2012 | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|

मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार केवल निजी खातेदारी भूमि में से ही धारा 251 ए के तहत नवीन रेखांकित रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस संबंध मे राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 14-06-2013 के द्वारा यह प्रावधान किया किये गये है कि स्वीकृत रास्ते के रूप में यदि निजी खातेदारी भूमि के साथ-साथ कुछ राजकीय सिवायचक भूमि पड़ती हो तो ऐसे प्रकरणो मे भी आवेदकगणों को नवीन रेखांकित रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। इस प्रकार विधिक प्रावधानो के अनुसार केवल राजकीय सिवायचक भूमि में से ही किसी किसान के अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिये नवीन रेखांकित रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नही है। जबकि उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये केवल मात्र राजकीय सिवायचक भूमि मे से ही रास्ते की मांग की जा रही है तथा TDR वाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के लिये प्रभावित रकबा भी 615। वर्गमीटर जो तकरीबन 0.62 हैक्टेयर के समक्ष क्षेत्रफल होता है, इतना बडा राजकीय सिवायचक भूमि का आवेदकगणों को रास्ते प्रयोजन रेखांकित किया जाना भी विधि सम्मत प्रतीत नही है। लिहजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner